न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code – UP1893
आपराधिक निगरानी संख्या–70/2026
कंप्यूटर रजि०सं०–70/2026
CNR NoUPGZ010013642026

विपिन चौधरी पुत्र श्री विनोद भागीरथ चौधरी निवासी–हनुमान वाटिका, प्लॉट नं० 45, सर्वे नं० 126/2B, शिवाजी नगर, सतपुर नासिक, महाराष्ट्र–422012

–निगरानीकर्ता

बनाम

1–उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) गाजियाबाद
२.नैना भारद्वाज पत्नी अनिल भारद्वाजनिवासी–एन–130, ए.आई.जी. संजय नगर गाजियाबाद।

–विपक्षीगण

अंतर्गत धारा–397 द०प्र०सं०
थाना–मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।

दिनांकः03-07-2026

निर्णय

1– प्रस्तुत आपराधिक निगरानी, निगरानीकर्ता की ओर से मु०अ०संख्या–123/2021 सरकार बनाम विपिन चौहान अंतर्गत धारा–323,504,506 भा०द०सं० थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद में, अपर सिविल जज(सी०डि०) कोर्ट सं० 2 गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–12–2025 के विरूद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश के माध्यम से विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है।

2– संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उन्मोचन प्रार्थना पत्र धारा–239 द०प्र०सं० के अंतर्गत इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा मधुबन बापूधाम में दर्ज करायी गयी शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 123/2021 अंतर्गत धारा–323,504,506 भा०द०सं० के तहत दर्ज की गयी थी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचनाधिकारी द्वारा बाद विवेचना धारा–173 द०प्र०सं० के अंतर्गत अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 18–04–2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। जिसपर न्यायालय द्वारा उपरोक्त आरोप पत्र का संज्ञान लिया जो अभियुक्त के विरूद्ध धारा–323,504,506 भा०द०सं० के तहत अपराधों के लिए दर्ज किया गया था। यह कहा गया कि उक्त एफ०आई०आर० का पंजीकरण स्वतः ही अवैध है क्योंकि उक्त अपराध संज्ञेय नहीं है और ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेश के बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते, न ही जांच कर सकते क्योंकि पुलिस अधिकारियों द्वारा धारा–323,504,506 भा०द०सं० के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना और गैर संज्ञेय

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.07.06 11:16:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपराधों के तहत आरोप पत्र दाखिल करना तथा उसके आधार पर आरोप पत्र का संज्ञान लेना विधिवत् नहीं है। इसके अलावा दायर आरोप पत्र समय बाधित है क्योंकि इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि से निर्धारित तीन वर्ष की अवधि के बाद दायर किया गया है। यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों से उन्मोचित किए जाने की याचना की गयी।

3- दिनांक 10-12-2025 को निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त उन्मोचन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अभियुक्त/निगरानीकर्ता के द्वारा वर्तमान निगरानी संस्थित की गयी।

4- निगरानीकर्ता की ओर से अपने आधार निगरानी एवं तर्क में यह कहा गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 10-12-2025 विधिरूप रूप से गलत है क्योंकि परीक्षण न्यायालय ने निगरानीकर्ता/आरोपी के विरूद्ध आरोप तय करने के लिए कोई ठोस कारण बताए बिना उक्त आदेश पारित किया है। निगरानीकर्ता के विरूद्ध उक्त आदेश कानूनी रूप से पारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि आरोप पत्र धारा-468 भा०द०सं० के अनुसार समय बाधित था और धारा-468 द०प्र०सं० का अनुपालन न करने से मुकदमा प्रारंभ से ही शून्य हो जाता है। जिस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर निगरानीकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही चल रही है, वह द०प्र०सं० की धारा-2(डी) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है इसलिए परीक्षण न्यायालय को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर भा०द०सं० की धारा-323,504,506 भा०द०सं० के अंतर्गत अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए था। परीक्षण न्यायालय ने धारा-506 के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक दायरे और तत्वों की गलत व्याख्या की है और बिना किसी कानूनी रूप से मान्य आधार के यांत्रिक रूप से अपराध को भाग-ii के अंतर्गत माना है तथा धारा-506 भा०द०सं० आपराधिक धमकी के लिए दंड के मूल तथ्वों को पूरी तरह से नजरंदाज कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विक्रम जोहर बनाम उ०प्र०राज्य और अन्य बनाम आपराधिक अपील सं० 759/2019 में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि धारा-506 के तहत अपराध साबित करने के लिए अभियोजन को यह साबित करना होगा कि ऐसी धमकी में उसके व्यक्ति, प्रतिष्ठा, या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति को जिसमें उसकी रूचि थी, कोई क्षति पहुंचाने की बात शामिल थी, एवं उसने ऐसा उस व्यक्ति को डराने के इरादे से किया या उस व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं था या ऐसा कोई कार्य न करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया जिसे करने का वह कानूनी रूप से हकदार था ताकि ऐसी धमकी के क्रियान्वन से बचा जा सके। यह भी कहा गया कि निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धाराओं के अंतर्गत प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं

बनता है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर माननीय परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आलोचित आदेश दिनांकित 10–12–2025 निरस्त किया जाए।

5– विपक्षी सं० 2 की ओर से लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए यह कथन किया गया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय के द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूर्णतया तर्कसंगत तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर न्यायिक विवेक का उपयोग कर पारित किया गया है। निगरानीकर्ता एवं विपक्षी सं० 2 का विवाह 24–11–2016 को संपन्न हुआ था। विवाह के दो सप्ताह बाद ही विपक्षी सं० 2 को पता चला कि आरोपी अवैध विववाहेतर सम्बंधों में लिप्त था। आमने सामने पूछताछ करने पर निगरानीकर्ता ने हिंसक प्रतिक्रिया दी। निगरानीकर्ता/अभियुक्त के अनैतिक आचरण के बावजूद विपक्षी ने विवाह को बनाए रखने हेतु भरसक प्रयास किए यद्यपि विपक्षी को मानसिक व शारीरिक यातना का सामना करना पड़ा। यह भी कहा गया कि निगरानीकर्ता का यह तर्क गलत है कि शिकायत में भा०द०सं० की धारा–506 के तत्व मौजूद नहीं हैं शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरोपी नशे की हालत में उसके पैतृक निवास पर आया व उसके साथ मारपीट की तथा उसके पिता व प्रतिवादी के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया और उसे डराया कि वह उसके व उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ले अन्यथा वह प्रतिवादी सं० 2/'शिकायतकर्ता व उसके परिवार का जीवन बर्बाद कर देगा। यह भी कहा गया कि द०प्र०सं० की धारा–468 के अनुसार तीन वर्ष से अधिक के दंडनयी अपराधों के लिए कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं है। यदि किसी देरी का कारण बनता है तो वह स्वयं आरोपी के आचरण के कारण है जिसने भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर के रूप में अपने प्रभावशाली पद का दुरूपयोग कर मुकदमे से बचने के उद्देश्य से कार्यवाही को रोक दिया, जिसका लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आक्षेपि आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है एवं उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 10–12–2025 का अवलोकन किया गया।

7– उल्लेखनीय है कि न्यायालय में निगरानी की बहस के दौरान दोनों पक्षों की ओर से समझौता ज्ञापन दाखिल करते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों ने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का निर्णय लिया है तथा समझौते के अनुसार समझौता ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर किए हैं, जिसे न्यायालय के अवलोकन हेतु उक्त आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। अतः निवेदन किया गया है कि समझौता ज्ञापन को पत्रावली में दाखिल किया जाए।

प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न समझौता ज्ञापन में संक्षिप्त रूप से मुख्यतः यह कथन किया गया है कि पति, हिंदू विवाह अधि० की धारा–13 बी के तहत बयान दर्ज होने से पहले प्रथम

याचिका के दिन या उससे पूर्व देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पत्नी को तीस लाख रू० का भुगतान करेगा। उक्त भुगतान धारा–13 बी के तहत बयान दर्ज होने से पहले द्वितीय प्रस्ताव के दिन या उससे पूर्व नैना भारद्वाज के पक्ष में उसके पंजाब नेशनल बैंक के खाते आरडीसी राजनगर में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। पत्नी द्वितीय प्रस्ताव की कार्यवाही में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बाध्य नहीं होगी जब तक कि मांग के माध्यम से उपर्युक्त राशि प्रदान नहीं की जाती है। पति, पत्नी या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ उसके द्वारा शुरू की गई सभी कार्यवाही को वापस लेने, बंद करने, समझौता करने, निपटाने या वापस लेने के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाने के लिए सहमत हैं और वचन देते हैं। पक्षकार एक दूसरे के निजी सामाजिक व्यवसायिक या पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस समझौता विलेख के पूर्ण अनुपालन पर कोई भी पक्षकार वैवाहिक सम्बंध/विवाद में उत्पन्न घटनाओं के सम्बंध में इस समझौता विलेख के निष्पादन की तिथि तक दूसरे पक्षकार या उनके सम्बंधित परिवार के सदस्यों के विरूद्ध कोई भी दीवानी, आपराधिक, वैवाहिक, विभागीय या प्रशासनिक कार्यवाही शुरू, प्रयोजित या समर्थन नहीं करेगा। यदि पति या पत्नी द्वारा समझौता ज्ञापन की किसी भी शर्मा का उल्लंघन, अवहेलना, अस्वीकृति, अनुपालन न करना या पालन न करना किया जाता है तो पति एवं पत्नी को प्राप्त की गयी धनराशि अपने पास रखने/भुगतान की गयी धनराशि वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा कानून में उपलब्ध किसी अन्य उपाय का सहारा लेने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा। साठ लाख रू० की निपटान राशि पक्षों के बीच एक बार का अपरिवर्तनीय व अंतिम निपटान है। समझौता ज्ञापन पक्षकारों, प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी होगा।

जहाँ तक पक्षकारान के मध्य हुए समझौते का प्रश्न है, उक्त तथ्य निगरानी न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं है। निगरानी का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाना न्यायोचित है।

8– उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता की ओर से न्यायालय के समक्ष मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों से निगरानीकर्ता के विरूद्ध धारा–506(2)भा०द०सं० का अपराध गठित नहीं होता है। निगरानीकर्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–323,504,506 भा०द०सं० गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो धारा–320 द०प्र०सं० के अंतर्गत समझौता योग्य (compounding)हैं।

9– इस सम्बंध में निगरानी के साथ संलग्न मु०अ०सं० 123/2021 से सम्बंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य वर्णित है कि निगरानीकर्ता/ अभियुक्त ने विपक्षी व उसके पिता को बर्बाद करने की धमकी देते हुए मुकदमा वापस लेने की धमकी दी और वादिनी पर दबाव बनाया।

धारा–506(2) भा०द०सं० में यह प्रावधानित है कि यदि किसी व्यक्ति को जान से मारने, गंभीर चोट पहुंचाने, संपत्ति जलाने या किसी महिला की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की

धमकी दी जाती है तो उसे 07 साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित उपरोक्त तथ्य धारा–506(2) में दिए गए प्रावधान की श्रेणी में नहीं आते हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई ध्यान दिए बिना निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया गया है। अतः निगरानीकर्ता के इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–323,504,506 भा०द०सं० एक गैर संज्ञेय अपराध हैं, जो द०प्र०सं० की धारा–320 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत समझौता योग्य (compoundable) हैं।

10– **द०प्र०सं० की धारा–320 में शमनीय अपराधों की सूची दी गयी है तथा उपधारा–2 में यह प्राविधानित है कि–**

भा०द०स० की धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का शमन उस न्यायालय की अनुज्ञा से, जिनके समक्ष ऐसे अपराध के लिए कोई अभियोजन लम्बित है, उस सारणी के तृतीय स्तम्भ में लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए यह विदित होता है कि प्रश्नगत मुकदमा विपक्षी सं० 2/वादिनी द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध धारा–323,504,506 भा० द० सं० के अंतर्गत पंजीकृत किया गया जिसमें बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किए जाने पर निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे आक्षेपित आदेश दिनांकित 10–12–2025 द्वारा निरस्त किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता की ओर से इस न्यायालय के समक्ष निगरानी योजित की गयी। दौरान निगरानी, निगरानीकर्ता एवं विपक्षी सं० 2/वादिनी के मध्य समझौता हो जाने के कारण पक्षकारों की ओर से इस न्यायालय के समक्ष समझौतानामा दाखिल करते हुए यह कथन किया गया कि उक्त प्रकरण पति–पत्नी के मध्य हैं, जिनके द्वारा आपसी सहमति से समझौतानामा दाखिल कर समझौतानामा की शर्तों के अनुरूप दोनों पक्षों के बीच विचाराधीन वादों को वापस लेने का कथन किया गया है। निगरानीकर्ता की ओर से यह भी कथन किया गया कि उसके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–323,504,506 भा०द० सं० गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो धारा–320 द०प्र०सं० के अंतर्गत समझौता योग्य (compounding)हैं। उल्लेखनीय है कि चूँकि उपरोक्त मुकदमा परीक्षण न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु विचाराधीन है, अतः निगरानी न्यायालय द्वारा उपरोक्त बिंदु पर कोई निष्कर्ष दिया जाना न्यायोचित नहीं है। मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान अपर सिविल जज(सी०डि०) कोर्ट सं० 2 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 10–12–2025 निरस्त किया जाता है।

विद्वान परीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभयपक्षों की ओर से इस न्यायालय में प्रस्तुत समझौतानामा को विचार में लेते हुए निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा-323,504,506 भा०द०सं० के सम्बंध में द०प्र०सं० की धारा-320(2)में दिए गए प्रावधान के दृष्टिगत् यथोचित आदेश पारित करें।

पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 10-07-2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश
दिनांक 03.07.2026 गाजियाबाद।

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश
दिनांक 03.07.2026 गाजियाबाद।